अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/321/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 8th मई, 2013

सेवा में

श्री मंजीत सिंह,
46 बी/14, कृपाल नगर,
रोहतक-124001,
हरियाणा।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 26.2.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 17.04.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. आपके आर टी आई आवेदन की मद सं. 3 के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली में 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' आरक्षित विषय हैं। इस प्रकार, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में आती है। दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को वेतन, भत्ते आदि का भुगतान गृह मंत्रालय के बजट से किया जाता है। उनके अवकाश एवं अन्य नियम दिल्ली पुलिस के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं। इसके निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारी दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1980 के अंतर्गत शासित होते हैं।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

72813113

सेवा में,
श्री मान सूचना अधिकारी जी,
नार्थ ब्लाक,
गृह मंत्रालय, संसद भवन
नई दिल्ली -

26-2-13
रोहतक

विषय: सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी पाने के लिए

श्री मान जी,

मैं आपके विभाग से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, आप से निवेदन है कि आप मुझे जानकारी प्रदान करे।

आप से अनुरोध है कि सम्पूर्ण जानकारी एक ही पत्र द्वारा देने की कृपया करे, क्यों कि हमारा डाकिया कम ही आता है।

अतः मेरे प्रश्नों की जानकारी देने की कृपया करे।

आपकी अति कृपया होगी

धन्यवाद सहित
मोडिल सिंह
46 B/14
देपाल नगर
रोहतक
हरियाणा

RTI

18 MAR 2013
4891/ई

Scanned in CAS ... for Relevant ...
... Pl ...

(1) गृह मंत्रालय ने कितने DG/Secty/SP/DC और IAS/IPS को लाल बत्ती लगाने की किस नियमबद्ध आज्ञा दी गई है। MVL पत्र संख्या RT-11016-108-2012 IAS/IPS लाल बत्ती नहीं लगा सकते

(2) अवैध रूप से लालबत्ती लगाने वाले पर क्या कारवाई होती है।

(3) जब दिल्ली एक राज्य है, नाम भी "दिल्ली पुलिस" है फिर भी दिल्ली सरकार का नियन्त्रण नहीं अतः जानकारी दी जाए कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन क्यों रखी गई है।

(4) केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र बनाने की क्या प्रक्रिया है। देश में कुल कितने केन्द्रशासित क्षेत्र हैं और क्यों बनाए गए हैं।

(5) CBI के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार को किस चयन प्रणाली के तहत नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। कांग्रेस नेता एस सी जमीर को ओडिसा का राज्यपाल कैसे नियुक्त किया गया। (चयन प्रक्रिया की जानकारी दीजिए)

(6) दो प्रान्तों की बाउंड्री लाइन का निर्धारण (सीमा रेखाओं) कैसे निर्धारित की जाती है eg भारत पाक की रेडक्लिफ आयोग परन्तु हरियाणा UP की यमुना नदी पर हमेशा किसानों में झगड़े होते हैं।

(7) गृह सचिव की नियुक्ति किस प्रकार से चयन किया जाता है।

(8) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष को सरकार कैसे नियुक्त करती है।

(9) योजना आयोग के उपाध्यक्षों/सदस्य का चयन/नियुक्ति कैसे की जाती है।

(10) चुनाव में जमानत क्यों रखी जाती है। लगभग 30% तो आबादी गरीब है, वो तो वोट दे सकती ना कि चुनाव लड़ सकती है।

(11) लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन नामीनेट क्यों होते हैं। सरकार कैसे उनका चयन करती है।

(12) किस चयन प्रक्रिया से एडमिरल निर्मल वर्मा को कनाडा में उच्चायुक्त बनाया गया है।

(13) दिल्ली पुलिस हमेशा लाठीचार्ज करती है, वह भीड़ (आंदोलनकारियों) पर वाटर कैनन, रबड़ गोली, वीडियोग्राफी, अरेस्ट क्यों नहीं करती।

14 देश में सभी "शहीदों वीरों" के नाम बताएं जैसे (सेना) की धरोहर व पुलिस